

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक-
18/2024-25

सं०सं०-03/प्र०-आवंटन (MMPPY)-14-01/2024 34

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार
(बेतिया को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- 7/2/2025

विषय- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 85, दिनांक- 7/2/25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 9,25,00,000/- (नौ करोड़ पच्चीस लाख) रु० मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 85, दिनांक- 7/2/25 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 9,25,00,000/- (नौ करोड़ पच्चीस लाख) रु० की राशि प्रत्येक जिला परिवहन पदाधिकारी, (जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को छोड़कर) को 25-25 लाख रुपया आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

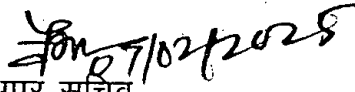
क्र०	योजना शीर्ष	जिला का नाम	कुल राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़कपरिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0102-मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055001990102 विस्तृत शीर्ष/वस्तुगत शीर्ष-विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय को 25-25 लाख रुपया, (जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को छोड़कर)	9,25,00,000/-
कुल			9,25,00,000/-

- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, (बेतिया को छोड़कर) द्वारा इस राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 85, दिनांक- 7/2/25 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे। अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा लगातार व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक- 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-8803, दिनांक-23.11.2023 के आलोक में पूरी छान-बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से

वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग सं० अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाएगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी० एल० खातों में नहीं रखी जाएगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

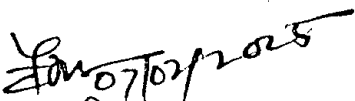

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 7/2/2025

ज्ञापांक:- 34

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/आई टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।